

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1971/11-सी- FP/UP/TRANS/146255/2021, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 12, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- सीकर II अलीगढ़ ट्रान्समिशन लिमिटेड (पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर-राजस्थान के द्वारा 765 के०वी० डी/सी सीकर II अलीगढ़ ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दायी व बाँयी दोनों पटरियों की 0.5293 हे० संरक्षित वनभूमि एवं अलीगढ़ में 0.0 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.5293 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/TRANS/146255/2021)

संदर्भ- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी 168/81-2-2022-800(176)/2022, दिनांक 24.06.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-2341/14-1 दिनांक 25.11.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1971/11-सी- FP/UP/TRANS/146255/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ एवं आगरा।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़ एवं मथुरा।
- 3- वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सीकर ट्रान्समिशन लिमिटेड, अलवर, राजस्थान।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।